(6)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/20

1. देवकीनन्दन पुत्र कन्हैयालाल नाबालिग जर्ये वली संरक्षक माता रामजानकी पत्नि कन्हैयालाल, जाति गूर्जर निवासी ग्राम अरनेठा, तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0।

– अपीलांट

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र बरधा जाति गूर्जर निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
2. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
3. मन्जू पुत्री भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
4. चन्द्रकान्ता पुत्री भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
5. महेन्द्र गूर्जर पुत्र नेवालाल गूर्जर जाति गूर्जर निवासी हथाई का चौक, सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
6. कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
7. कृष्णा बाई पत्नि हरिओम जाति गूर्जर निवासी ग्राम भिण्डी तहसील व जिला बून्दी राज0
8. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री राजकुमार मीणा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4, 6, 7 की ओर से।
3. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 5 की ओर से।

अपील संख्या 2025/20
देवकीनन्दन बनाम भैरूलाल

निर्णय **दिनांक 30.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 46/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खाता संख्या नई 453 पुरानी 422 की खसरा संख्या 26 रकबा 1.29 है०, खसरा संख्या 463 रकबा 0.80 है०, खसरा संख्या 522 रकबा 1.33 है०, खसरा संख्या 523 रकबा 0.37 है०, खसरा संख्या 2423 रकबा 0.09 है० खसरा संख्या 2805/54 रकबा 1.39 है० कुल किता 6 कुल रकबा 5.27 है० वाके ग्राम व माल अरनेठा तहसील के०पाटन जिला बूंदी राजस्थान में स्थित है। जिसके पुराना खसरा नम्बर 5, खसरा संख्या 98. खसरा संख्या 75, खसरा संख्या 76, खसरा संख्या 313 थे। वाद पत्र के साथ भू–प्रबंधन विभाग की सम्वत 2022 से 87 की सेटलमेंट जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी नाबालिग है, इसलिए जरिये संरक्षक माता वाद प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि वादी के पिता कन्हैयालाल मानसिक रोगी है जो मानसिक रूप से बीमार है, परन्तु फिर भी उसके आवश्यक पक्षकार होने की वजह से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। वादी के अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है प्रार्थी के उज्जवल भविष्य के लिये जरिये माता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कुल कृषि भूमियों में भेरूलाल के दो पुत्र, दो पुत्रियां होने से प्रत्येक का हिस्सा 1/5, 1/5 बनता है। अब क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से में से 0. 54 है० भूमि का विक्रय कर चुका, इससे ज्यादा विक्रय करने का अप्रार्थी संख्या 1 को अधिकार नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी भी जीवित है। जिसके भरण पोषण के लिये भी भूमि की आवश्यकता है। यदपि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खातेदार होने की वजह से नाजायज रूप से विक्रय किया गया है, तदापि जब तक सम्पूर्ण भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक खातेदार को उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा लेने का व अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या लगायत 4 व 6 की पैतृक कृषि भूमि है। सम्पूर्ण कृषि भूमि मूल पुरुष गणेश जिसकी मृत्यु उपरान्त विरासतन बरधा व रामनारायण के नाम खाते अंकित हुई जो जमाबंदी सम्वत 2022 से 2041 के अनुसार 129 बीघा 14 बिस्वा जमीन थी, जो प्रार्थी के परदादा स्व० रामनारायण के नाम सहखातेदारी में अंकित थी, जिसमें दोनो का हिस्सा बराबर बराबर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी

----(रेस्पोडेन्ट्स)

था। अब क्योकिं प्रार्थी के परदादा बरधा की भी मृत्यु हो चुकी है. उसकी मृत्यु अपरान्त प्रार्थी के दादा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि आ गई। क्योंकि प्रार्थी के पिता के एक भाई व दो बहिने है, जिनका जन्म से ही प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों में खातेदार होने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। जिसकी घोषणा के लिये प्रार्थी द्वारा यह दावा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के पिता के एक भाई व दो बहिने जो कि दावा प्रस्तुत नही करना चाहती है, इसलिए उनको अप्रार्थी बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का बिना प्रार्थी की सहमति के लगातार बैचान किया जा रहा है। इसलिए भूमि खरीददार महेन्द्र गुर्जर आत्मज नेवालाल को जिसका नाम खाते में अंकित होने से व अवैध रूप से भूमि क्रय करने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की वरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में अधिकार से सम्बन्धित घोषणा बाद सूनवाई व साक्ष्यों का समुचित विवेचन व परिक्षण किये जाने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा की जानी है, परन्तु यह स्पष्ट कानून है कि किसी भी भूमि के अंशदारी व सहभागीदारी व सहखातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता या न्यायालय द्वारा नही किया जाता तब तक हर इन्च पर हर सहखातेदार का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में बिना हतबंध लोगो के अधिकारों की घोषणा किये व भूमि का विधिवत विभाजन किये भूमि का विक्रय एक पक्ष के द्वारा बिना प्रार्थी की सहमति के किया जा रहा है। जो अवैध है। जिसके खिलाफ प्रार्थी को माननीय न्यायालय से उपचार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि देने का व पेत्तृक सम्पत्ति को न बेचने का आग्रह किया लेकिन कोई सुनवाई नही की और जबरन प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से 0.45 है० भूमि का पुनः विक्रय कर दिया। जबकि ऐसा करने का उसको कोई अधिकार प्राप्त नही था. दिंनाक 12.08.2024 को वादी को धमकी दी कि जमीन मेरे खाते में है. मै मेरी मर्जी पडेगी जिसको बेचूंगा, तेरी मर्जी पडे जो कर ले। अप्रार्थी संख्या 8 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से उसे पक्षकार बनाया गया है, जिसके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाहिए। यह कि यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना किसी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में नाबालिग है और उसकी शिक्षा, भरण पोषण व उसकी माता के भविष्य के जीवन यापन को देखते हुये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पक्षकार फरमाया जावे कि आराजी खाता संख्या नई 453 पुरानी 422 की खसरा संख्या 26 रकबा 1.20 है0, खसरा संख्या 463 रकबा 0.80 है०, खसरा संख्या 522 रकबा 1.33 है०. खसरा संख्या 523 रकबा 0.37 है०, खसरा संख्या 2423 रकबा 0.09 है० खसरा संख्या

2805/54 रकबा 1.39 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.27 है० वाके ग्राम व माल अरनेठा तहसील के०पाटन जिला बूंदी राजस्थान में स्थित है में वादी के पिता को 1/5 हिस्से में 1/2 अर्थात सम्पूर्ण का 1/10 हिस्से खातेदार खातेदार घोषित किया जावे व पृथक खाता अंकित कर हिस्से में आने वाली कृषि भूमि का मौके पर माप कर पुख्ता मेडबंदी होने और तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होने तक प्रार्थी के हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों में प्रार्थी व उसकी माता को उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे, मदाखलात पैदा नही करे, रहन बेचान नहीं, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि ऐजेन्ट से करावे, ताफैसला वाद रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकार हो उसे प्रदान प्रदान की की जाते जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 10.01.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4, 6, 7 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है, जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अपने 1/5 हिस्से की आराजी को पूर्व में बेचान कर चुका है, और इससे अधिक भूमिं को बेचान करने का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तथा दौराने वाद भी उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से लोगों से रकम ले ली, तथा अपीलाधीन आदेश पारित होते ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने आनन–फानन में अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं जीवीकोपार्जन से महरूम करने की नियत से अपीलान्ट के हिस्से की आराजी को बेचान कर खुर्द–बुर्द करना चाहता है, तथा उक्त आराजी अपीलान्ट क्रम 1 एवं रेस्पोडेन्ट्स । लगायत 4 व 6 की पेतृक आराजी है, जिसको रेस्पोडेन्ट क्रम । को किसी भी प्रकार से बेचान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी को पेतृक सम्पति नहीं मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आराजी अपीलान्ट की पुश्तैनी आराजी है, तथा अपीलान्ट वर्तमान में नाबालिग है, जिसके पास अपनी जीवन निर्वाह, पढाई–लिखाई एवं समस्त खर्चों के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है, यदि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की आराजी को बेचान कर दिया गया तो अपीलान्ट के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहेगा। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा दौराने वाद उक्त विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 5 व 7 को बैचान किया गया है, इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 5 व 7 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण इस अपील में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–01–2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में चाही गई सहायतानुसार अपीलांटगण के पक्ष में एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 के विरुद्ध अस्थाई निषैद्याज्ञा पारित की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी अपीलान्टगण को दिलवाई जावे।

7\. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4, 6, 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता जीवित है अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट की माता द्वारा जर्ये संरक्षक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक नही है, प्रार्थी अपीलांट के पिता का ईलाज [illegible] होना स्वीकार है। अपीलांट की माता अपीलांट के नाम सम्पत्ति हांसिल कर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहती है तथा प्रार्थी अपीलांट की माता भी ग्राम अरनेठा में नही रहती है, ना ही पत्नी धर्म निभाती है। प्रार्थी अपीलांट की माता ने पिछले 10 वर्षों से अकारण रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का परित्याग कर रखा है तथा आंगनबाडी में नौकरी पाने की गरज से ग्राम अरनेठा की निवासी बताकर नौकरी प्राप्त की है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त

भूमि का तन्हा खातेदार है जिसे कानून उक्त सम्पत्ति को बेचान करने का पूरा अधिकार है, प्रार्थी अपीलांट का उक्त भूमि में कोई सरोकार नही है न ही प्रार्थी अपीलांट बंटवारा कराने का अधिकारी है, खरीददार के नाम नामान्तरकरण खोला जा चुका है तथा कब्जा भी अन्तरित किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि जब भेरूलाल जी के नाम दर्ज हुई, कन्हैयालाल पैदा नहीं हुआ था, इस कारण हिन्दू विधि के अनुसार जब कन्हैयालाल का हक ही नहीं है तो प्रार्थी अपीलांट किस प्रकार का हक उक्त भूमि में नही रखता है, इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी अपीलांट का कोई हक अधिकार नही है, कब्जा केवल अप्रार्थी क्रम 1 का है तथा तन्हा खातेदार होने के नाते प्रार्थी अपीलांट उक्त भूमि को परिवार की आवश्यकता हेतु बेचान इत्यादि करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। प्रार्थी अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति होना सम्भव नही है। प्रथम द्रष्ठया मामला प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी अपीलांट वादग्रस्त भूमि प्रार्थी अपीलांट की पेतृक भूमि नही है, इस कारण प्रार्थी दावा लाने का अधिकारी नहीं है, क्योकि भेरूलाल के नाम दर्ज होते समय स्वयं कन्हैयालाल भी पैदा नही हुआ था. इस कारण उक्त भूमि में प्रार्थी का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपीलांट के पिता का ईलाज चल रहा है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जिम्मे है तथा ईलाज का समस्त खर्चा केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही कर रहा है, इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के उपर काफी कर्जा हो गया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के लिये हुये कर्जे को चुकता करने के लिये ही भूमि का बेचान किया गया है जो विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर अभी भी अपने पुत्र पुत्रियों के सामाजिक कार्यक्रमों का काफी कर्जा हो रहा है, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जिम्मे है और कर्जा चुकता करने का एक मात्र आधार वादग्रस्त भूमि ही है। वादग्रस्त आराजी में से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा बेचान की गई भूमि के बाद शेष बची हुई भूमि में कानूनन प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा बनता है, उक्त हिस्से की घोषणा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है तथा उक्त हिस्से तक अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट ना तो वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील

अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2423 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम व माल अरनेठा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में विस्थित है जिसको जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूल खातेदार से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा खरीद किया गया है। बवक्त खरीद से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का निरन्तर स्वामित्व एवं कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में कृषि कार्य करता चला आ रहा है। अपीलांट प्रार्थी को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश करने का हक व अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 5की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट ना तो वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अरनेठा तहसील के0पाटन की खसरा संख्या 26, 463, 522, 523, 2423, 2805/54 कुल किता 6 रकबा 5.27 हैक्टेयर के मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भैरूलाल वल्द बरधा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2076 में नामान्तरकरण संख्याा 2191 दिनांक 05.08.2021 द्वारा विक्रय से खसरा नम्बर 2423 रकबा 0.09 हैक्टेयर सम्पूर्ण भैरूलाल के बजाय केता महेन्द्र गुर्जर आत्मज नेवालाल के खाते दर्ज किए जाने का नोट अंकित है। अतः पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 2423 रकबा 0.09

हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा खरीद किया जाना प्रकट होता है। वादग्रस्त आराजी ना तो अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है और ना ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना प्रकट होता हो। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने पर खातेदारी की भूमि में अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त होना माना जाता है। चूंकि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की खातेदारी में दर्ज है अतः वादग्रस्त आराजी पर अभिलिखित खातेदार रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा काश्त माना जावेगा। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में होना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अपीलांट के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत होना शेष है अतः प्रकरण के वर्तमान स्तर पर अपीलांट वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.2025 में खातेदार व कब्जेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होना मानकर प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का जो आदेश पारित है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 46/2024 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/6/25

(सुरजीत प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा